न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–74 सन् 2015

विनय कुमार सिंह वगैरह..............................वादीगण।

बनाम

बनारसी राय व अन्य..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 20.02.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी सं0 01 की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी फरीक 02 शिव पारसी प्रसाद राय की मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने निवास स्थान पर अपने तीन पुत्र वो दो पुत्री जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने का आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.02.2024 को दाखिल कर वादी सं0 01 के उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि वादी ने प्रतिवादी सं 02 की मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को मृत्यु के उपरांत वाद अबेट कर चुका है। तथा ससमय मृत्यु की सूचना भी नहीं दी गई है। वादी विलंब माफ का आवेदन दाखिल किया है परंतु एबेटमेंट सेटेसाईट करने का आवेदन दाखिल नहीं किया है। वादी जानबूझकर वादी को विलंब करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार कर वादी का उक्त आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है

कि प्रतिवादी सं0 02 शिव पारसी प्रसाद राय की मृत्यु दिनांक 17.12.2022 को अपने निवास स्थान पर अपने तीन पुत्र वो दो पुत्री जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 30.10.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।
वाद दिनांक .... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ
सोनपुर सारण।